□□□□ □□□□□
स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय
स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग

□□□ □□□
□□□□र्□□□ प्रश्न □ख□□□ 280*

05 □□□□□, 2018 को पूछे जाने वाले प्रश्न का उत्तर
□□□ □□क□□

*280. श्र□□□□ □□□□□□श्र□□□□ □□□□□
श्र□ □□□□□□ □□□□□

क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने को कृपा करगे किः

(क) क्या सरकार ने विश्व स्वास्थ्य संगठन को उस रिपोट पर ध्यान दिया है जिसम कहा गया है कि भारत म बड़ी संख्या म प्रैक्टिस कर रहे डॉक्टरों के पास आवश्यक अहता नहों है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा इस पर सरकार को क्या प्रतिक्रिया है;

(ग) क्या सरकार ने इस संबंध म कोई जांच/अन्वेषण कराया है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा इसके परिणाम क्या ह;

(घ) ऐसे डॉक्टरों के विरुद्ध दज मामलों का ब्यौरा क्या है; और

(ङ) इस समस्या के समाधान के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए ह?

□त्त□
स□□स्थ्य □□□□र्□□□□ □ल□□ण मंत्री (श्री जगत प्रकाश नड्डा)

(क) से (ड.) : विवरण सदन के पटल पर रख दिया गया है।

****

लोक सभा म 05 जनवरी, 2018 को पूछे जाने वाले तारांकित प्रश्न संख्या 280 के उत्तर म उल्लिखित विवरण

(□) □□(□.): विश्व स्वास्थ्य संगठन (डब्ल्यूएचओ) ने अपनी 'भारत म स्वास्थ्य कायबल' संबंधी रिपोट म दावा किया है कि भारत म 57 प्रतिशत एलोपैथिक डॉक्टरों के पास चिकित्सीय अहता नहों है। यह रिपोट गलत है क्योंकि किसी भी राज्य चिकित्सा रजिस्टर म आर्युविज्ञान को प्रेक्टिस करने के लिए पंजीकृत चिकित्सक के रूप म नामांकन हेतु न्यूनतम अहता एम.बी.बी.एस. है, और इसलिए सभी पंजीकृत चिकित्सकों के पास चिकित्सा अहता है।

भारतीय आर्युविज्ञान पर्षिद अधिनियम, 1956 को धारा 15 म चिकित्सक के अलावा किसी अन्य व्यक्ति का राज्य म आर्युविज्ञान को प्रेक्टिस करने के लिए राज्य चिकित्सा रजिस्टर म नामांकन करना निषिद्ध है। चूंकि स्वास्थ्य राज्य विषय है अत: नीम-हकोमों के ऐसे मामलों के संबंध म कारवाई करने का मुख्य उत्तरदायित्व संबद्ध राज्य सरकार का है।

उपयुक्त को ध्यान म रखते हुए केन्द्र सरकार ने सभी राज्यों के मुख्यमंत्रियों से अनुरोध किया कि वे नीम-हकोमों के खिलाफ कानून के अंतगत उचित कारवाई कर तथा उपयुक्त नीतियां भी तैयार कर तार्कि ग्रामीण क्षेत्रों म गुणवत्तायुक्त स्वास्थ्य कायबल को उपलब्धता सुनिश्चित को जा सके।

****